



४६

२२१ ९०८२-P B217

R-172-PBR/17

निकाल दि. 22/03/2017ई0

प्रस्तुत दिनांक /06/2017ई0

माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश,
इन्दौर पीठ के समक्ष,

श्री _____
द्वारा आज दि. 01.03.17 को
उमति

गोपनीय ओफिसर
मण्डल मध्य प्रदेश गवर्नर

आवेदनपत्र धारा 35 (3) मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के
अन्तर्गत।

- 1/ चारु पिता शांताराम येवतीकर
निवासी सनावद, तहसील सनावद,
- 2/ क्रांति पिता शांताराम येवतीकर (कनाटे)
निवासी बडौदा, गुजरात
- 3/ ज्योति पिता शांताराम येवतीकर
निवासी सनावद, तहसील सनावद,
- 4/ संजय कुमार पिता शांताराम येवतीकर
निवासी सनावद, तहसील सनावद,

— आवेदकगण —

विरुद्ध

- 1/ कुदनसिंह पिता प्रहलादसिंह निवासी सनावद,
- 2/ विकमसिंह पिता प्रहलादसिंह निवासी सनावद,
- 3/ महेन्द्रसिंह पिता लक्ष्मणसिंह निवासी पंधाना,
- 4/ रूपकुवरबाई पति रघुनासिंह चौहान निवासी इन्दौर,
- 5/ पदमकुवरबाई पति अखिलेशसिंह चौहान निवासी महोम्मदपुर,
- 6/ चॉदकुवरबाई पति सुरेन्द्रसिंह चौहान निवासी कुसाम्बिया,
- 7/ किरणकुवर पति चन्द्रभानसिंह चौहान निवासी महोम्मदपुर,

अग्र

अभियोगना

- 8 / वंदनाबाई पति दुपतसिंह पंवार निवासी जामन्या,
 9 / दीक्षा पिता दुपतसिंह पंवार अवयस्क तरफे माता
 वंदनाबाई पति दुपतसिंह पंवार निवासी जामन्या,
 10 / सोनाली पिता दुपतसिंह पंवार अवयस्क तरफे माता
 वंदनाबाई पति दुपतसिंह पंवार निवासी जामन्या,
 11 / गजराजसिंह पिता दुपतसिंह पंवार अवयस्क तरफे माता
 वंदनाबाई पति दुपतसिंह पंवार निवासी जामन्या,
 तहसील सनावद, जिला खरगोन.

— अनावेदकगण

विषयः— रिवीजन पुनःस्थापन बाबद।

सविनय निवेदन है कि :-

रिवीजन अनुपस्थिती में खारिज होने की जानकारी
 दिनांक 26/4/2017 से यह आवेदन पत्र अवधि में प्रस्तुत है।

- 1/ आवेदकगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष
 एक रिवीजन कंमाक R-172-PBR/17 प्रस्तुत की गई थी उक्त
 रिवीजन माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष ग्वालियर में अधिवक्ता के
 माध्यम से प्रस्तुत की गई थी तथा आवेदकगण की ओर से उक्त
 प्रकरण में ग्वालियर में अधिवक्ता पैरवी कर रहे थे। आवेदकगण को
 दिनांक 26/4/2017 को अधिवक्ता से ज्ञात हूवा कि उक्त रिवीजन
 दिनांक 22/3/2017 को इन्दौर केम्प में अनुपस्थिती में खारिज हो
 गई है। उक्त रिवीजन इन्दौर केम्प में राजस्व मण्डल के समक्ष
 सुनवाई हेतू रखे जाने की आवेदकगणों को कोई सूचना नहीं थी तथा
 उक्त प्रकरण में दिनांक 22/3/2017 को माननीय राजस्व मण्डल
 के इन्दौर केम्प में प्रकरण रखा होने की आवेदकगण को कोई
 जानकारी नहीं दी गई थी।

- 2/ यह कि आवेदकगण को उक्त प्रकरण दिनांक
 22/3/2017 को इन्दौर केम्प में सुनवाई हेतू रखे जाने की कोई

DCD

XXXIX(a)-BR (H)-10

4

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक

19082/PBZ/17

२१५

विरुद्ध

कुट्टन सिंह

तहसील

जिला

कुट्टन सिंह

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. तहसील का प्रकरण क्रमांक.

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
13-5-2017 <i>R.S.M.</i>	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. २२/३/१७ के विरुद्ध श्री के अभिभावक द्वारा अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है। पुनरावलोकन अवधि बाह्य है / नहीं है / मुद्रांक शुल्क पूर्ण है / रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है / नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं / नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है / नहीं दिया है।</p>	प्रस्तुतकार

आवेदकगांव की ओर से श्री धर्मेन्द्र
 -पतुर्वेदी, अभिभावक अप्लिक्ट/उन्हें
 रेहरो. आवेदन पत्र पर सुना गया।
 इस्यो. आवेदन पत्र (वीक्षा किया जाएगा)
 है। भूल प्रहार क्र. १७२-१८१२/१३ पुनः
 सुनवाई हेतु नम्बर पर लिपा जाएगा।
 यह प्रकाश समाप्त किया जाता है।

[पीछे देखिये

अधिकारी
अधिकारी